:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– धीरेन्द्र सिंह

मूकदमा नम्बर:– 7/21 राजस्व वाद

4. श्री देवीसिंह पिता मानसिंह राजपुत निवासी नैनसावा तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूँगरपुर

प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक 11/02/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

प्रार्थी देवीसिंह पिता मानसिंह एवं भगवती कुँवर पत्नी देवीसिंह के नाम से वर्तमान जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या नया 206 के अनुसार पटवार हल्का कुंआ ग्राम लिखतिया पंचकुंडी तहसील चिखली में खसरा संख्या 721/200 क्षेत्रफल 1.2944 भूमि दर्ज है।

यह कि उक्त खसरे में वर्तमान में नई जमाबन्दी (खतोनी) में प्रार्थी की जाति राजपूत के बजाय मीणा ग्रा. सा. नैनसावा पत्नी सहित दर्ज कर दिया गया है जिसका सही इन्द्राज (दुरस्तीकरण) राजपूत जाति के नाम से करावें।

यह कि उक्त भूमि पूर्व में खसरा न. 200 भूमि का क्षेत्रफल 33–16 में से प्रार्थी को दिनांक 08.01.2003 को खसरा न. 721/200 रकबा 8 बीघा का आवंटन भगवती कुँवर पत्नी देवीसिंह, देवीसिंह पिता मानसिंह राजपूत के नाम से हुआ जिसका नामान्तरण राजस्व रेकार्ड में भी प्रार्थी की जाति राजपूत के नाम से दर्ज थी।

यह कि प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेज संल्गन किये गये है–

1. पुरानी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की नकल जिसमें आवंटन पश्चात् नामान्तरण के इन्द्राज में जाति का इन्द्राज राजपूत दर्ज है।
2. नई जमाबन्दी की नकल सम्वत् 2075–2078 जिसमे जाति मीणा दर्ज है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली दिनांक 29.01.2021 को दर्ज होकर प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार चिखली का सम्मन भेज कर तामिल कराई गई। प्रतिवादी की ओर से राजकीय पैरोपकार श्री देवचन्द बुनकर द्वारा दिनांक 10.02.2021 को दस्तावेज पेश किये गये जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न है–

1. नामान्तरकरण संख्या 392 की प्रति जिसमें जाति राजपूत दर्ज है।
2. पुरानी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की नकल।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार चिखली से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर अवलोकन पश्चात पाया कि आवंटन पश्चात दर्ज नामान्तरण संख्या 392 में प्रार्थीगण की जाति राजपूत दर्ज है एवं इसी अनुसार जमाबंदी 2071–2074 में भी राजपूत दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.04.26 10:26:32 IST
Reason: SelfAttested

इसके पश्चात अगली जमाबंदियॉ बनाते समय भूलवश जाति राजपूत के बजाय मीणा दर्ज हुई जिसे शुद्ध करना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि–

–:आदेश:–

मौजा कुँआ में वर्तमान जमाबंदी संवत 2075–2078 में खाता संख्या नया 206, खसरा संख्या 721/200 रकबा 1.2944 है0 जिसमें खातेदार देवीसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/2 एवं भगवतीकुँवर पत्नि देवीसिंह हिस्सा 1/2 की जाति मीणा के स्थान पर राजपूत दर्ज की जावें।

आज दिनांक 11/02/2021. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली, डूंगरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.04.26 10:26:32 IST
Reason: SelfAttested